**न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर**
**पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.**

राजस्व अपील संख्या 814/2025

**सावताराम पुत्र हमीरा व अन्य**
**बनाम**
**मोहन पुत्र पुनमाराम वगैरा**

दिनांक 26.11.2025

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाडमेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 15/2024 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी रेस्पो0सं0 1 व 2 ने विप्रार्थीगण–अपीलांट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील धोरीमना स्थित ग्राम गुणेशाणियों की ढाणी के ख0नं0 1040/836 एवं 1041/836 व 1050/827 के खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1 व 2 ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0 द्वारा इस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम गुणेशाणियों की ढाणी स्थित उसके उल्लेखित खसरान की भूमि के सेढा–सेढ विप्रार्थीगण की भूमि स्थित है, जिसके बीच किसी प्रकार की कोई पक्की माठें या सीमा चिन्ह नही होने के कारण काश्त एवं पैदावार को लेकर सीमा विवाद रहता है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 15.12.23 को करवाया गया, जिसे विप्रार्थीगण नही मान रहे है। अतः प्रार्थी के खसरान की पक्की नेखमबंदी करवाने का आदेश फरमावे। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलांट को नही मिलने से उसे सुनवाई का अवसर नही मिला तथा जल्दबाजी में अविवादित पैमाईश रिपोर्ट के बिना,

एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया गया। जिसके आधार पर प्रकट है कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है, जबकि आवेदन में पडौसी खातेदारों से सीमा विवाद होने का उल्लेख किया गया है। प्रकरण में अविवादित पैमाईश रिपोर्ट तथा विप्रार्थी सं0 26–तहसीलदार धोरीमन्ना की रिपोर्ट का भी अभाव है। इस स्थिति अपीलाधीन आदेश न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 15/2024 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.04.2024 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 26-11-25 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

26/11/25

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर